संख्या-12/ 2019/ 1302/ 46-2-19-32/ 2019

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
लखनऊ।

2. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2019

विषय:- चीनी मिलों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करते हुए सुचारू रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पेराई सत्र 2018-19 में प्रदेश की संचालित निगम/ सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के तकनीकी कार्यकलापों की समीक्षा की गयी। उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ एवं उ.प्र. राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों की तुलनात्मक दृष्टि से समीक्षा करने के दौरान यह ज्ञात हुआ कि इन चीनी मिलों का तकनीकी कार्यकलाप यथा चीनी-परता, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चीनी मिलों का समय से संचालन किया जाना, क्षमता उपयोग, चीनी ह्रास, गन्ने की गुणवत्ता आदि मानकों में चीनी मिलों का प्रदर्शन मानकों के अनुरूप नहीं है। चीनी मिल्स संघ एवं चीनी निगम की चीनी मिलें अपेक्षाकृत समान क्षमता की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की तुलना में लाभदायकता में कम है। चीनी मिलों की समीक्षा करने पर इसके मुख्य कारण यह पाये गये कि चीनी मिलों के यंत्र-सयंत्रों का अनुरक्षण एवं रखरखाव समय से ठीक नहीं किया जा रहा तथा अनुरक्षण का कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की न होने और इसके साथ-साथ जो कल-पुर्जे, मोटर्स एवं पम्पस जैसे संयन्त्र उच्च कोटि और मानक के न लगाने के कारण मिलों में लम्बी अवधि तक ब्रेकडाउन बना रहता है।

2. इसी प्रकार केमिकल्स, लूबरीकेन्टस एवं ईधन यथा डीजल, बैगास आदि की खपत मानकों से अधिक है तथा इन्वेन्टरी प्रबन्धन में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गन्ने की कटाई से पेराई (Cut to crush) का समय अधिक है, जिससे गन्ना क्रय केन्द्रों का गन्ना मिलों में विलम्ब से प्राप्त होता है और पेराई से पूर्व काफी हद तक सूख जाता है जिससे गन्ने में चीनी का ह्रास होता है तथा प्रशासनिक कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है। सभी चीनी मिलों को यह प्रयास करना चाहिए कि गन्ने का विकास यथासंभव अपने आरक्षित क्षेत्र 10 किलो मीटर के अन्दर ही किया जाना चाहिए जिससे गन्ना ढुलाई लागत में होने वाली वृद्धि से बचा जा सके।

3. चीनी का उचित भण्डारण न होने के कारण चीनी भीगने से उसकी गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसलिए चीनी के भण्डारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी तरह से शीरे के भण्डारण हेतु पर्याप्त टंकी की व्यवस्था न होने के कारण शीरा का भण्डारण कच्चे पिटों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किया जाता है जिससे शीरे की गुणवत्ता का पूर्ण ह्रास होता है। उत्पादों का समुचित भण्डारण नहीं होने से मिलों को वित्तीय हानि का सामना करना पड़ता है और मिलों की नकद तरलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है जिसके कारण गन्ना किसानों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान भी नहीं हो पाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अधीन संचालित चीनी मिलों की तकनीकी व वित्तीय मानकों में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की भॉति और सुधार लाना आवश्यक है।

4. इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित उक्त् चीनी मिलों को तकनीकी, वित्तीय एवं जनशक्ति के आधार पर और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों में चीनी मिलों के स्तर पर यथावश्यक विभागों का संचालन, आउट सोर्सिंग के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया ई-टेण्डरिंग के द्वारा ख्याति प्राप्त अच्छी एजेन्सी का चयन करते हुए इसी प्रकार विभागाध्यक्ष के अधीन रिक्त नियमित वरिष्ठ पदों के सापेक्ष नियमित भर्ती होने तक मेरिट के आधार पर विज्ञापन के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर योग्य एवं अनुभवी लोगों को अस्थाई रूप से इन रिक्त पदों पर नियुक्त कर कार्य संपादन कराया जाय।

5. उच्च शर्करा युक्त एवं उच्च उत्पादकता वाली किस्मों को चुनाव कर मिल से 10 किलो मीटर त्रिज्या में गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाने एवं उच्च गुणवत्ता का गन्ना उत्पादन किये जाने पर बल दिया जाय तथा मिल गेट पर गन्ना क्षेत्रफल विकसित करने पर अधिक बल दिया जाय, ताकि कम से कम 80 प्रतिशत गन्ना मिल गेट पर प्राप्त हो जाय और गन्ना ट्रान्सपोर्ट पर होने वाले अनावश्यक व्यय से भी बचा जा सके साथ ही चीनी मिल को अच्छी गुणवत्ता का गन्ना सुगमता से प्राप्त हो सके। चीनी मिलों में इन्वेटरी मैनेजमेंट का सिस्टम भी विकसित किया जाय ताकि 24 घण्टे मिल का सुचारू रूप से संचालन हो सके। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि चीनी मिल प्रारम्भ होने से पहले उत्तम कोटि के ब्वायलर, टर्बाइन आदि की आपूर्ति ई-टेण्डर के माध्यम से करते हुये अच्छी ख्याति प्राप्त कम्पनियों के साथ टेण्डर करते हुए अनुबन्ध किया जाए तथा मिल में उक्त सामान की आपूर्ति ई-टेण्डर के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के कलपुर्जे इत्यादि क्रय कर अनुरक्षण एवं रखरखाव में उनका प्रयोग किया जाए।

6. चीनी मिल में मेरिट के आधार पर अच्छी ख्याति/ सत्यनिष्ठा वाले प्रधान प्रबन्धक, मुख्य अभियंता, मुख्य गन्ना विकास अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ, मुख्य लेखाकार आदि को ही लगाया जाए। चीनी व सह उत्पादकों की गुणवत्ता एवं उसके भण्डारण की उचित व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। चीनी मिलों का मासिक नियमित अनुश्रवण मुख्यालय स्तर पर प्रभावी ढंग से किया जाए और इस सम्बन्ध में चीनी मिलों में ई.आर.पी. के साथ-साथ एम.आई.एस. को भी विकसित किया जाये ताकि पूरा प्रबन्धन डिजिटल प्लेटफार्म पर आ जाए।

7. पेराई सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि उ;प्र; सहकारी चीनी मिल्स संघ एवं उ.प्र. राज्य चीनी निगम में कार्यरत जो भी प्रधान प्रबन्धक आगामी पेराई सत्र 2019-20 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले है, उन्हें चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक का कार्य न दिया जाये और उनके स्थान पर किसी अन्य योग्य अधिकारी की तैनाती की जाए ताकि चीनी मिल के समय से संचालन में किसी प्रकार का बीच में व्यवधान उत्पन्न न हो।

8. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स एवं उ.प्र. राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों का संचालन अपने वित्तीय स्रोतों से ही संचालन किया जायेगा। चीनी मिलों को तकनीकी एवं जनशक्ति के आधार पर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

और अधिक सुदृढ़ किये जाने एवं वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने के उददेश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ की रमाला चीनी मिल बागपत तथा सठियांव चीनी मिल आजमगढ़ एवं उ.प्र. राज्य चीनी निगम की मोहिउददीनपुर चीनी मिल मेरठ, पिपराईच चीनी मिल गोरखपुर एवं मुण्डेरवा चीनी मिल, बस्ती के संचालन, मरम्मत एवं गन्ना मूल्य भुगतान के मद में कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर किसी मिल इकाई को शासन स्तर से परीक्षणोपरान्त पूंजीगत मद से ही वित्तीय सहायता दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

9. स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत (गैर राजकीय) कर्मियों पर लागू इम्प्लाइज प्राविडेंट फण्ड एक्ट 1952 (ई.पी.एफ./सी.पी.एफ.) के प्राविधानों के अन्तर्गत भविष्य निधि मद में कर्मचारियों से की जाने वाली सांविधिक कटौती की धनराशि को कर्मचारी के खाते में नियमित रूप से जमा करने एवं उनके लेखों का समुचित रखरखाव सम्बन्धित संस्था के स्तर पर सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 08/2018/577/46-3-18-3 (22)/2018, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्देश जारी किये गए थे, जिनका अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था के नियोक्ता/ कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकारी की है। यदि नियोक्ता/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में आयेगा तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

10. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों की वित्तीय एवं तकनीकी दक्षता बढ़ाये जाने एवं उपलब्ध संसाधनों के दुरूपयोग रोकने के दृष्टिगत उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा गत वर्ष सम्पादित MoU में Committed लक्ष्यों की प्राप्ति न होने की दशा में उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाए।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/ 2019/ 1302/ 46-2-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष।
2. आयुक्त गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
3. निबन्धक, सहकारी चीनी मिल समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
4. चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in